[2018] 13 एससीआर 458

अंबाला बस सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड। .

चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य। (2018 की सिविल अपील संख्या 10002) 26 सितंबर, 2018

[कुरियन जोसेफ और संजय किशन कौल, जेजे।

मोटर यान अधिनियम, 1988 – अध्याय V और VI; अध्याय 88 और 98 – धारा 98 के तहत प्रदान किए गए अभिभावी प्रभाव – गैर–वातानुकूलित बस के निजी ऑपरेटर अपीलकर्ता को पंजाब राज्य द्वारा अंतर–राज्यीय परमिट जारी किया गया था – अपीलकर्ता ने उक्त यूटी में गैर–वातानुकूलित बस के संचालन के लिए केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) चंडीगढ़ के प्राधिकरण से उक्त परमिट पर जवाबी हस्ताक्षर का दावा किया – एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई – डिवीजन बेंच ने उक्त दृष्टिकोण को पलट दिया। अध्याय VI के तहत बनाई गई 1998 की चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की योजना के मद्देनजर पंजाब के क्षेत्र से परे अपने स्टेज कैरिज का संचालन नहीं किया जा सकता है, जिसमें निजी ऑपरेटरों के संचालन को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है – अपील पर, कहा गया: डिवीजन बेंच 2008 के पारस्परिक समझौते की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता और प्रभाव से चूक गई, जिसमें विशेष रूप से गैर–एसी के लिए काउंटर हस्ताक्षर का प्रावधान है। बसें – इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 1998 की योजना के बावजूद, अपीलकर्ता ने 2008 तक अपने स्टेज कैरिज का संचालन किया – योजना एकतरफा है, जबकि पारस्परिक समझौता द्विपक्षीय है – योजना की उपलब्धता के बावजूद, संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब राज्य ने जानबूझकर गैर–एसी की अनुमति देते हुए एक पारस्परिक समझौते में प्रवेश किया। जिन बसों के लिए पंजाब राज्य ने 1966 से पहले परमिट जारी किए थे और इसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में संचालित करने के लिए पंजाब राज्य द्वारा नवीनीकृत किया जाता रहा – जब तक कि पारस्परिक समझौते को एक नए समझौते द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है या जब तक कि इसके विपरीत प्रावधानों को निर्दिष्ट करते हुए चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र द्वारा कोई नई योजना तैयार नहीं की जाती है, अपीलकर्ता द्वारा संचालित बसें, जिनके पास 1.11.1966 से पहले परमिट जारी किए गए थे और जब तक उन्हें पंजाब राज्य द्वारा नवीनीकृत किया जाता है, तब तक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ काउंटर हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सकता है – धारा 98 के आधार पर, यह तर्क दिया गया था कि अध्याय VI के तहत बनाई गई योजना का पारस्परिक 458 अंबाला बस सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम चंडीगढ़ प्रशासन पर अभिभावी प्रभाव है। तथापि, धारा 98 में प्रदत्त अभिभावी प्रभाव केवल कानूनी स्थिति पर असंगति के मामले में ही लागू होता है – वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है – इसके विपरीत, पारस्परिक समझौता पारस्परिक रूप से लाभकारी शर्तों पर है – डिवीजन बेंच द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को निरस्त कर दिया गया – एकल न्यायाधीश का आदेश बहाल। अपील का निपटारा करते हुए, अदालत ने कहा:

1.1 इसमें कोई विवाद नहीं है कि 1998 की योजना के बावजूद, जैसा कि 2001 में संशोधित किया गया था, अपीलकर्ता ने 2008 तक अपने स्टेज कैरिज का संचालन किया। [पैरा 5] [461–जी–एच]

1.2 यह योजना एकतरफा है, जबकि पारस्परिक समझौते द्विपक्षीय हैं। स्कीम की उपलब्धता के बावजूद, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ और पंजाब राज्य ने जानबूझकर गैर–एसी की अनुमति देते हुए एक पारस्परिक करार किया है।

जिन बसों के लिए पंजाब राज्य ने 1966 से पहले परमिट जारी किए थे और इसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में संचालित करने के लिए पंजाब राज्य द्वारा नवीनीकृत किया जाता रहा। पंजाब राज्य के हलफनामे में यह भी आया है कि दिनांक 04–06–2008 को लागू हुए पारस्परिक करार में संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की माइलेज पात्रता के लिए इस प्रकार के लाभ को ध्यान में रखा गया है। इसलिए, जब तक पारस्परिक समझौते को एक नए समझौते द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है या जब तक कि केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा इसके विपरीत प्रावधानों को निर्दिष्ट करने वाली कोई नई योजना नहीं बनाई जाती है, अपीलकर्ता द्वारा संचालित बसें, जिनके पास 01.11.1966 से पहले परमिट जारी किए गए थे और जब तक उन्हें पंजाब राज्य द्वारा नवीनीकृत किया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इस कारण से काउंटर हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सकता है कि 1966 में पहले से जारी परमिट पुनर्गठन के पांच साल बाद अपना जीवन काल पूरा कर चुके थे। उक्त अधिनियम की धारा 98 में प्रदान किया गया अभिभावी प्रभाव केवल कानूनी स्थिति पर असंगति के मामले में लागू होता है। वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसके विपरीत, पारस्परिक समझौता पारस्परिक रूप से लाभकारी शर्तों पर है। इसलिए, खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द किया जाता है और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल किया जाता है। [पैरा 8, 9] [460–जी–एच; 461–ए–ई] सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 13 एस.सी.आर. सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2018 की सिविल अपील संख्या 10002। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय चंडीगढ़ के दिनांक 21.04.2011 के निर्णय और आदेश से 2010 के लेटर पेटेंट अपील संख्या 1098 में। पी.एस. पटवालिया, वरिष्ठ अधिवक्ता, रोहित कपूर, सुश्री नीलम कलसी, श्रीमती रानी छाबड़ा, सुश्री प्रियल अग्रवाल, अपीलकर्ता के अधिवक्ता। सुधीर वालिया, सुश्री निहारिका अहलूवालिया, अभिषेक आत्रेय, सुश्री उत्तरा बब्बर, सुश्री भावना दुहून, सुश्री देबोश्री मुखर्जी, जगजीत सिंह छाबड़ा, उत्तरदाताओं के लिए सलाहकार। न्यायालय का निर्णय कुरियन, जे.1 द्वारा दिया गया था। पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्तागण को सुना।

2. राहत दी गई।

3. अपीलकर्ता 2010 के लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 1098 में चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित दिनांक 21.04.2011 के फैसले से व्यथित है, जिसके तहत डिवीजन बेंच ने उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को पलट दिया और कहा कि अपीलकर्ता 1998 की योजना के मद्देनजर पंजाब के क्षेत्र से परे अपने स्टेज कैरिज का संचालन नहीं कर सकता है। जैसा कि 2001 में संशोधित किया गया था। आदेश में कहा गया है,1998 की योजना और 2001 की संशोधित योजना निजी ऑपरेटरों (व्यक्तियों/एजेंसियों) की गैर–वातानुकूलित बसों को यूटी, चंडीगढ़ में संचालित करने की अनुमति नहीं देती है। 1988 के अधिनियम की धारा 66 मोटर वाहन के मालिक को किसी भी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में अपने वाहन के उपयोग की अनुमति देने से रोकती है, चाहे वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए या प्रति–हस्ताक्षरित परमिट के बिना किसी भी यात्री या सामान को ले जा रहा हो या नहीं। इस धारा के तहत परिवहन वाहन के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले वाहन के लिए परमिट की आवश्यकता होती है। 1988 के अधिनियम की धारा 88 में किसी एक राज्य में दिए गए परमिट के प्रति–हस्ताक्षर का प्रावधान है जो किसी अन्य राज्य में मान्य होगा। चूंकि यूटी चंडीगढ़ की 1998 की योजना में निजी ऑपरेटरों के संचालन को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है, इसलिए 1988 अधिनियम के अध्याय VI में आने वाली 1988 अधिनियम की धारा 100 के साथ धारा 99 के तहत कौन सी योजना तैयार की गई है, इसका ओवरराइडिंग प्रभाव होगा। यदि

अंबाला बस सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम चंडीगढ़ प्रशासन [कुरियन, जे।] ऐसा होने पर, प्रतिवादी–कंपनी, एक निजी ऑपरेटर, को यूटी प्राधिकरण से जवाबी हस्ताक्षर का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है। चंडीगढ़ ने दिनांक 4–6–2008 के पारस्परिक करार के तहत पंजाब राज्य के प्राधिकरण द्वारा इसे जारी किए गए परमिट पर भी निर्णय लिया है।हमारे द्वारा किए गए उपरोक्त निष्कर्षों के प्रकाश में, प्रतिवादी–कंपनी यूटी चंडीगढ़ के क्षेत्र में गैर–वातानुकूलित बस संचालित करने के लिए यूटी प्राधिकरण, चंडीगढ़ से अंतर–राज्य परमिट पर जवाबी हस्ताक्षर का दावा नहीं कर सकती है।4. दुर्भाग्यवश, डिवीजन बेंच 2008 के पारस्परिक समझौते की महत्वपूर्ण प्रासंगिकता और प्रभाव से चूक गई है, जो 04.06.2008 को लागू हुआ था, जो विशेष रूप से गैर–एसी बसों के काउंटर हस्ताक्षर का प्रावधान करता है। संबंधित पैराग्राफ नीचे दिया गया है– "अनुबंध ए, बी, सी और डी में उल्लिखित मार्गों का मतलब हमेशा दो राज्यों में स्थित दो टर्मिनलों को जोड़ने वाला सबसे छोटा सीधा मार्ग होगा। उक्त अनुलग्नक में दर्शाए गए मार्ग के नाम या लंबाई में बाद में पाई गई किसी भी विसंगति को पारस्परिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच पत्राचार के माध्यम से तुरंत ठीक किया जाएगा और इसे समझौते का कोई संशोधन नहीं माना जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों दोनों के एसटीयू के स्वामित्व और संचालित वातानुकूलित और गैर–वातानुकूलित बसों को केवल काउंटर हस्ताक्षर के अधीन अनुमति दी जाएगी। निजी प्रचालक की इंटीग्रल वातानुकूलित बसों को इस करार के अनुलग्नक डी में शामिल मार्गों पर प्रतिहस्ताक्षर के अधीन अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी बसों के परमिट पंजाब क्षेत्र को छोड़कर चंडीगढ़ से आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। 01.11.1966 से पहले जारी किए गए परमिट वाले निजी ऑपरेटरों की गैर–वातानुकूलित बसों को मूल परमिट और प्रतिहस्ताक्षर के सत्यापन के बाद अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे परमिट केवल तभी प्रतिहस्ताक्षरित किए जाएंगे जब वे पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 74 और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के दायरे और शर्तों में आते हैं।

5. इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 1998 की योजना के बावजूद, जैसा कि 2001 में संशोधित किया गया था, अपीलकर्ता ने 2008 तक अपने स्टेज कैरिज का संचालन किया। प्रतिवादी संख्या 1 और 3 की ओर से पेश वकील के अनुसार, 2008 के पारस्परिक समझौते में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अपीलकर्ता द्वारा संचालित बस के काउंटर हस्ताक्षर से इनकार करने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट [2018] 13 एस.सी.आर.

6. प्रतिवादी संख्या 1 और 3 के विद्वान वकील द्वारा दिए गए प्रेरक तर्कों के बावजूद, हमें विवाद की सराहना करना मुश्किल लगता है। विद्वान वकील ने विशेष रूप से मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अध्याय VI (संक्षेप में, 'उक्त अधिनियम') का उल्लेख किया है और उक्त अधिनियम की धारा 98 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है ताकि इस बिंदु को स्पष्ट किया जा सके कि उक्त अधिनियम के अध्याय VI के तहत योजना का धारा 88 के तहत विचार किए गए पारस्परिक समझौतों पर अभिभावी प्रभाव है। उक्त अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत आते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 98 निम्नानुसार है: – "98। अध्याय V और अन्य विधियों को निरस्त करने के लिए अध्याय– इस अध्याय के उपबंध और उसके अधीन बनाए गए नियम और आदेश अध्याय V में या इस समय लागू किसी अन्य विधि में या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी किसी लिखत में निहित किसी असंगत बात के बावजूद प्रभावी होंगे। 7. अध्याय V के अंतर्गत धारा 88 (5) और (6) निम्नानुसार पढ़ी गई है– "88 (5) प्रत्येक मार्ग या क्षेत्र के संबंध में प्रदान किए जाने वाले या प्रतिहस्ताक्षरित किए जाने वाले परमिटों की संख्या

निर्धारित करने के लिए राज्यों के बीच एक समझौता करने का प्रत्येक प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सरकारी राजपत्र में और क्षेत्र में परिचालित क्षेत्रीय भाषा में किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। या समझौते द्वारा कवर किए जाने वाले प्रस्तावित मार्ग के साथ–साथ उस तारीख की सूचना भी दी गई है, जिसके पहले इसके संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और तारीख आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों से कम नहीं होनी चाहिए, जिस पर, और प्राधिकारी के द्वारा, और समय और स्थान पर, प्रस्ताव और उसके संबंध में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार किया जाएगा। (6) राज्यों के बीच हुआ प्रत्येक करार, जहां तक यह परमिट ों के प्रतिहस्ताक्षर प्रदान करने से संबंधित है, संबंधित राज्य सरकारों में से प्रत्येक द्वारा राजपत्र में और समझौते द्वारा कवर किए गए क्षेत्र या मार्ग में परिचालित क्षेत्रीय भाषा में किसी एक या अधिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा और राज्य का राज्य परिवहन प्राधिकरण और संबंधित क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण इसे प्रभावी करेंगे। 8. इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि योजना एकतरफा है, जबकि पारस्परिक समझौते द्विपक्षीय हैं। योजना की उपलब्धता के बावजूद, केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और पंजाब राज्य अंबाला बस सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड बनाम चंडीगढ़ प्रशासन [कुरियन, जे] पंजाब सरकार ने जानबूझकर गैर–एसी बसों की अनुमति देने के लिए एक पारस्परिक समझौता किया है, जिसके लिए पंजाब राज्य ने 1966 से पहले परमिट जारी किए थे और इसे केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में संचालित करने के लिए पंजाब राज्य द्वारा नवीनीकृत किया जाना जारी रहा। पंजाब राज्य के हलफनामे में यह भी आया है कि दिनांक 04–06–2008 को लागू हुए पारस्परिक करार में संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ की माइलेज पात्रता के लिए इस प्रकार के लाभ को ध्यान में रखा गया है। इसलिए, जब तक पारस्परिक समझौते को एक नए समझौते द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है या जब तक कि इसके विपरीत प्रावधानों को निर्दिष्ट करने वाले केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ द्वारा कोई नई योजना नहीं बनाई जाती है, अपीलकर्ता द्वारा संचालित बसें, जिनके पास 1.11.1966 से पहले परमिट जारी किए गए थे और जब तक उन्हें पंजाब राज्य द्वारा नवीनीकृत किया जाता है, तब तक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ इस कारण से काउंटर हस्ताक्षर से इनकार नहीं कर सकता है कि 1966 में पहले से ही जारी किए गए परमिट थे। पुनर्गठन के पांच साल बाद अपना जीवन समाप्त कर दिया। उक्त अधिनियम की धारा 98 में प्रदान किया गया अभिभावी प्रभाव केवल कानूनी स्थिति पर असंगति के मामले में लागू होता है। वर्तमान मामले में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसके विपरीत, पारस्परिक समझौता पारस्परिक रूप से लाभकारी शर्तों पर है।

9. इसलिए, हम खंडपीठ द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द करते हैं और उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को बहाल करते हैं।

10. तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है। इसके परिणाम सामने आएंगे और आज से चार सप्ताह के भीतर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

11. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटान किया जाएगा।

12. हर्जा के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

दिव्या पांडे की अपील का निष्पादन।

(प्रत्युष प्रकाश)